



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/06/60/2018/एफ०सी०/196

दिनांक : 19/6/18

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ, उ० प्र०।

(ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/24614/2017)

विषय: आगरा में अवन्तीबाई चौराहे से रोहता नहर तक (आगरा-ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग) का लोक निर्माण विभाग द्वारा 6 लेन चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु 2.45 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ० प्र० का पत्रांक- 5066/आगरा/246146/2017
दिनांक- 24.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. प्रस्तुत किए गये .kml file में प्रस्तावित भूमि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि को नहीं दर्शाया गया है।
2. मूल टोपोशीट प्रस्तुत करें।
3. कई बिन्दुओं पर प्रस्तावित वनभूमि की गणना दिये गए कास सेक्सन एरिया के साथ मेल नहीं खाते।

उपरोक्त त्रुटिया दूर करते हुए सूचनाएं यथाशीघ्र प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रमुख सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा, उ० प्र।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा, उ० प्र०।
4. अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1 (ता०ट्रि०), लोक निर्माण विभाग, आगरा, उ० प्र०।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश प्रत्रावली

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}